(126)

(1)

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / 2008 अपील – 5429/2018/शहडोल/सीलिंग/अधि०

श्री राजेन्द्र जैन अधि० द्वारा आज दि० 5-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-9-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 5-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजेन्द्र जैन एडवोकेट

1 अरूण कुमार जायसवाल पत्र स्व0 श्री उजियारी लाल जायसवाल

2 श्रीमति बबीता पत्नी अरूण कुमार

3 हर्ष कुमार पुत्र अरूण कुमार

निवासीगण– वार्ड 15 धनपुरी पोस्ट धनपुरी तहसील सुहागपुर जिला शहडोल ....अपीलार्थीगण

विरुद्ध

मृत दान बहादुर सिंह पुत्र श्री रघुनंदन सिंह द्वारा वारिसान

1 श्रीमति हरिराज कुमारी सिंह पत्नी स्व० श्री स्व0 दान बहादुर सिंह (फौत)

2 आदित्य प्रताप सिंह पुत्र स्व0 दान बहादुर सिंह (फौत)

3 श्रीमति आशा कुमारी सिंह पत्नी स्व० श्री आदित्य प्रताप सिंह

निवासी स्टेडियम रोड (कुठलिया टोला) सतना जिला सतना

4 भानवी सिंह पुत्र स्व श्री आदित्य प्रताप सिंह पत्नी कैप्टन आर.पी.एस.चौहान निवासी रूद्र अपार्टमेंट सेक्टर 06

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
प्रतिम प्रति 4/1
पृष्ठ संख्या 01 से 54
हस्ताक्षर व नाम
05/09/18

(3)

(2)

प्लाट नम्बर 12, फ्लैट नंबर, सी-001
द्वारिका नई दिल्ली

5 अर्पणा सिंह पुत्र स्व0 श्री आदित्य प्रताप सिंह

6 भुवन सिंह पुत्र स्व0 श्री आदित्य प्रताप सिंह (लावल्द फौत)

7 म0 प्र0 शासन ....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 41 म0 प्र0 कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 सहपठित धारा 44 म0 प्र0 भू0 राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17/05/2018 प्रकरण क्र0 0001/बी–90(3)/2017–18 पारित न्यायालय अपर कमीश्नर शहडोल संभाग

श्रीमान महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न अनुसार प्रस्तुत है—

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, रेस्पोंडेंटस की भूमि जिला अनूपपुर तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम पडरी पुराना सर्वे क0 43/6, 64, 73/2 कुल किता 3 जिसका कुल रकवा 18.60 एकड एवं जिला अनूपपुर तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम गिदी पुराना सर्वे क0 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45 74, 83, 106, 119, 147, 163, कुल किता 18 जिसका कुल रकवा 280.85 एकड एवं जिला अनूपपुर तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम हर्राटोला सर्वे क0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 कुल किता 7 जिसका कुल रकवा 154.58 एकड एवं जिला अनूपपुर तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम पौडकी सर्वे क0 3/2 ग्राम हर्राटोला कुल किता 3 जिसका कुल रकवा 04.00

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील–5429/2018/शहडोल/सीलिंग/अधिनियम

अरूण कुमार जायसवाल आदि विरूद्ध मृत दान बहादुर सिंह वारिसान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–3–2019	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री रोहित जैन एवं प्रत्यर्थी कं 7 शासकीय अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकों ने को ग्राहय्ता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 0001/बी–90(3)/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17–5–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 41 म0प्र0 कृषि खातों की अधिकितम सीमा अधिनियम 1960 सहपठित धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 17–5–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में 50 दिन विलम्ब से 5–9–2018 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त आवेदन में जानकारी का स्त्रोत नहीं बतलाया गया है। म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में आदेश की जानकारी का दिनांक एवं जानकारी का स्त्रोत दर्शाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलर्थी द्वारा विलम्ब के संबंध में दर्शाये आधारों को मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः म्याद के बिन्दु पर ही यह अपील ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। 4/ इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त सहित विचारण	

12.03.19

कलेक्टर न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील के साथ पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत करने सबंधी आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में बिना पक्षकार के द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आदेश से व्यथित व्यक्ति वही माना जा सकता है जो निचले न्यायालय मेंपक्षकारा रहा हो। ऐसी स्थिति में पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील ग्राह्य नहीं किया जा सकती है। विचाराधीन सीलिंग प्रकरण काफी वर्षों से लंबित था तथा अपीलार्थी द्वारा 2007 में भूमि कय की जाना बतलाया है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उसे सीलिंग प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी को अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहित प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकार के रूप में सम्मिलित होकर कार्यवाही में भाग लेना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा ऐसा न कर विचारण न्यायालय सहित प्रथम अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात इस न्यायालय (समयबाधित द्वितीय अपील) में आदेश को चुनौती दी गई है, जो ग्राह्य योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में यह अपील समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0के0 जैन)
सदस्य 12/03/19